राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	581/2025 घनश्याम बनाम सोसायटी ऑफ़ कैथोलिक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04/09/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादित आराजीयात में खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 142/2 रकबा 0.65 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 14 के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.40 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 169 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम झझारपुरा पटवार हल्का काठावाला तहसील चाकसू का मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुए विवादग्रस्त भूमि का मुताबिक नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की पालना करते हुए कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2025 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घनश्याम बनाम सोसायटी ऑफ़ कैथोलिक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर